

आलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

जस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 34/2025

प्रार्थीगण



अप्रार्थीगण

मिया देवी वगैरह

वनाम

शांतिदेवी वगैरह

स्म मुकदमा- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.04.2025	<p>पत्रावली आज कार्यालय समय मे दर्ज रजिस्टर की गई । प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा स्थगन आदेश हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीनी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया गया है अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमल की जारी किया जाना न्यायोचित समझते है कि अप्रार्थीगण ग्राम कृष्णा नगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 121 रकबा 18.0247 हैक्टेयर राजस्व रेकॉर्ड, बैचान नहीं करें। एवं मौके की यथास्थिति आगामी पेशी तक कायम रखें। पत्रावली वास्ते तामिल हेतु दिनांक 05.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center;"><b>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी</b></p>	
5-5-20	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है वही पर है। लूणी काशों में स्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 6-5-20 को पेश हो।</p>	
6-5-20	<p>पत्रावली पेश हुई। कुल बाद में राजीनामा हो जाने से प्रार्थीना पत्र प्रकाश होन इसके के रवायत कि प्रार्थना पत्र पत्रावली के कुल शिमांर होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center;"><b>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी</b></p>	